

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०-1/प्री-मैट्रिक के०प्रा०यो०-07/2010- **68.**

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर (भा०प्रा०से०),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- **03/09/2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना (60:40) के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत केन्द्रांश में रु० 825.00 लाख (रु० आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र तथा राज्यांश में रु० 550.00 लाख (रु० पाँच करोड़ पचास लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 1375.00 लाख (रु० तेरह करोड़ पचहतर लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना (60:40) अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विभागीय स्वीकृतादेश संख्या- **67** दिनांक- **03/09/2025** के द्वारा केन्द्रांश में रु० 825.00 लाख (रु० आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र तथा राज्यांश में रु० 550.00 लाख (रु० पाँच करोड़ पचास लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 1375.00 लाख (रु० तेरह करोड़ पचहतर लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना (60:40) के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत केन्द्रांश में रु० 825.00 लाख (रु० आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र तथा राज्यांश में रु० 550.00 लाख (रु० पाँच करोड़ पचास लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 1375.00 लाख (रु० तेरह करोड़ पचहतर लाख) मात्र आवंटित की जाती है।

2-“कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2022-23 में मांग संख्या 11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्यशीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277- शिक्षा, उपशीर्ष 0214-प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष 0214.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड 11-2225-03-277-0214 पी0एफ0एम0एस0 कोड-9493 अन्तर्गत रु० 825.00 लाख (रु० आठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र केन्द्रांश एवं मांग संख्या 11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्यशीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277- शिक्षा, उपशीर्ष 0314-प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष 0314.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड 11-2225-03-277-0314 पी0एफ0एम0एस0 कोड-9493 अन्तर्गत रु० 550.00 लाख (रु० पाँच करोड़ पचास लाख) मात्र राज्यांश से विकलनीय होगा।”

3-व्यय विभाग (PFMS प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राशि का व्यय Single Nodal Agency(SNA) एवं Implementing Agency(IA) के बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया के तहत SNA Account के माध्यम से राशि की निकासी की जानी है। केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु Single Nodal Agency पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है तथा कार्यान्वयन एजेंसी शिक्षा विभाग है।

P.T.O

4-उक्त आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होंगे तथा व्ययन पदाधिकारी, Implementing Agency(IA) के रूप में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राशि की निकासी कर SNA के बैंक खाता (खाता संख्या-60400450549, IFSC Code-MAHB0001270, Bank of Maharashtra, Boring Road Branch, Patna) में संधारित करेंगे। Implementing Agency(IA) शिक्षा विभाग के व्ययन पदाधिकारी केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के बिन्दु पर सक्षम प्राधिकार से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करेंगे तथा व्यय की गयी राशि की व्यय विवरणी समय-समय पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे। विभागीय संकल्प संख्या-2565, दिनांक-21.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि उपर्युक्त कंडिका-4 के आलोक में PFMS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि का DBT करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6-संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7-प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8-प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर),

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- सं०-1/प्री-मैट्रिक के०प्रा०यो०-07/2010- 68

पटना, दिनांक- 03/09/2025

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- सं०-1/प्री-मैट्रिक के०प्रा०यो०-07/2010- 68

पटना, दिनांक- 03/09/2025

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग /प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

P.T.O

ज्ञापांक— सं०-1/प्री-मैट्रिक के०प्रा०यो०-07/2010- 68

पटना, दिनांक— 03/09/2025.

प्रतिलिपि— अपर सचिव कोषांग/निदेशक/उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा)/ लेखा शाखा/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— सं०-1/प्री-मैट्रिक के०प्रा०यो०-07/2010- 68

पटना, दिनांक— 03/09/2025

प्रतिलिपि—सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— सं०-1/प्री-मैट्रिक के०प्रा०यो०-07/2010- 68

पटना, दिनांक— 03/09/2025.

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव